न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 324 / 2021 निर्णय दिनांक :–27.11.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र

कौशल्या देवी पत्नी श्योजीराम जाति गुर्जर उम्र 51 वर्ष निवासी बनेड़िया कॉलोनी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

बनाम

1. बन्ना लाल पुत्र जगदीश जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
   1/1 हीरा देवी पत्नी स्व0 बन्नालाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
   1/2 विशाल पुत्र स्व0 बन्नालाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
   1/3 सरमा पुत्री स्व0 बन्नालाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
   1/4 गोल्या पुत्री स्व0 बन्नालाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
   1/5 काली पुत्री स्व0 बन्नालाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
   1/6 लक्ष्मी पुत्री स्व0 बन्नालाल जाति गुर्जर नाबालिग जरिये संरक्षक माता हीरा देवी पत्नी स्व0 बन्नालाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. सोहन लाल पुत्र जगदीश जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. **शाखा प्रबन्धक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा बीजवाड़ जिला टोंक राज0**
4. **शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थांवला जिला टोंक राज0**
5. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री बाबू लाल मीना
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री राजन्दे शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थी स0 1 ता 2
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध 3 ता 4
अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 27 खसरा नम्बर 1659/464 रकबा 0.31 है0, भूमिवाके तनग्राम बनेड़ियाखुर्द पटवार हल्का साण्डला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजीयात में आने जाने का कदीमी रास्ता अप्रार्थीगण 1 ता 2 की संयुक्त

Ruby

खातेदारी की भमि ख0न0 463 रकबा 0.28 है0 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर होते हुए आम रास्ते में आते जाते है एवं उक्त रास्ते से ही प्रार्थीया वर्षो से अपने खेत में आकर काश्त करती है। अप्रार्थीगण सं 1 ता 2 ने अपने खातेदारी के खेतों में तारबंदी करके प्रार्थी के खेत में जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर बंद कर दिया। जिससे प्रार्थीया को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और प्रार्थीया का खेत मौके पर पर हकाई बुवाई जुताई से वंचित हो जायेगा। प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि में आने जाने का कदीमी रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि आराजी खाता स0 116 खसरा न0 463 रकबा 0.28 है0 पश्चित दिशा में भूमि के उत्तर दिशा की ओर बने हुए आम रास्ते में आते जाते है प्रार्थीया को ख0न0 463 में पश्चिम दिशा की ओर आने जाने के लिये 15 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की डीएलसी राशि की दुगुनी राशि जमा कराने को तैयार है प्रार्थीया को उक्त रास्ते की सख्त आवश्यकता है प्रार्थीया सुविधा के लिये रास्ता नही मांग रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया को ख0न0 463 में पश्चिम दिशा की ओर आने जाने के लिये 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार है– प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 2 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीया ने उक्त भूमि को खरीद की है तथा उक्त भूमि के आस पास कोई आम रास्ता स्थित नही है। प्रार्थीया व उसके परिवाजन स्वयं की भूमि को काश्त करने के लिये खसरा न0 461 की मेड़ पर स्थित रास्ते से वर्षो से आते जाते रहे है और अपनी भूमि को काश्त करते है आम रास्ता खसरा न0 461 तक ही राजस्व रिकार्ड नक्शा सीट में समाप्त हो जाता है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 3 जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण न0 4 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीया को आने जाने का रास्ता पड़ौसी खेतों की मेड़ से उपलब्ध है। इसलिये प्रार्थीया को रास्ते की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थीया विगत करीब 25–30 वर्षो से निर्बाध रूप से अपा खेत शांतिपूर्वक काश्त करती आ रही है प्रार्थीगण स0 1 ता 2 की कृषि भूमि ख0न0 463 की पश्चिम व उत्तर दिशा की ओर रास्ते हेतु कोई भूमि नही है। प्रार्थीया के द्वारा जिस स्थान से रास्ते की मांग की जा रही है, वहां मौके पर सरकारी नहर स्थित है, जिससे काश्तकारों की भूमियां सिंचित होती है। ऐसी स्थिति में केवलमात्र प्रार्थीया अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की भूमि को खुर्दबुर्द करने की बदनियति से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारीज योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण न0 5 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 6 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया ने खसरा न0 463 में से रास्ते की मांग की है, वह अनुचित है क्योंकि खसरा न0 463 से पहले खसरा न0 461 व 462 की भूमि स्थित है। राजस्व रिकार्ड नक्शा शीट में आम रास्ता खसरा न0 461 की भूमि तक ही समाप्त हो जाता है। प्रार्थीया को अपनी सुविधा के लिये खसरा न0 461 की भूमि में से रास्ता मांगना चाहिये था। लेकिन प्रार्थीया ने रंजिशवश अप्रार्थी न0 1 व 2 को नुकसान कारित करने की नियत से

गलत तरीके से रास्ते की मांग की जा रही है। इस कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः– प्रार्थी की खातेदारी आ0ख0न0 106 से होकर खसरान0 446 गै0मु0 रास्ता में जाता है उसके बाद ख0न0 226 गै0मु0 नहर की पाल पर बने हुय रास्ते पर आता जाता हे इसके पश्चात् खसरा न0 463 की पश्चिमी सीमा से होकर जाता है। प्रार्थी के खसरा न0 1659/464 में आने हेतु प्रार्थी को खसर न0 446 गै0मु0 रास्ते के बाद में गै0मु0 नहर पर 300 मीटर तक आता है प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता किसी पहुंच मार्ग से सम्पर्क नही है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है परंतु प्रार्थी को गै0मु0 नहर पर से आना जाना पड़ेगा जो कि राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज नही है। उक्त नहर पर भौतिक रूप से रास्ता है। प्रस्तावित रास्ता की चौड़ाई 5 मीटर तथा लम्बाई 32 मीटर कुल क्षेत्रफल 160 वर्गमीटर होगा। प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 365914/– प्रति0 है0 है जिसकी दुगुनी प्रतिकर राशि 11710 रूपये होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 463 में से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना, पेड़ दीवार इत्यादि नहीं है। अप्रार्थीगण रास्ता देने हेतु सहमत नही है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, और डीएलसी की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए खसरा नम्बर 463 में से रास्ता दिये जाने हेतु प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। नक्शा ट्रेस व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर दृष्टिगत है कि तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भमि खसरा न0 1659/464 में आने हेतु प्रार्थी खसरा न0 446 गै0मु0 रास्ते के बाद में गै0मु0 नहर पर 300 मीटर तक आता है प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता किसी पहुंच मार्ग से सम्पर्क नही है तथा प्रार्थी को गै0मु0 नहर पर से आना जाना पड़ेगा जो कि राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज नही है अतः प्रार्थी द्वारा खसरा न0 463 में से चाहे गये रास्ते एवं गै0मु0 रास्ता खसरा न0 446 के मध्य खसरा न0 226 गै0मु0 नहर स्थित होने के कारण रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।

अतः तहसीलदार द्वारा अभिशंषित नहीं होने व वांछित रास्ते के मध्य में गै0मु0 नहर होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारीज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ruby

उपखण्ड अधिकारी

देवली